रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 314] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 29, 1972/आषाढ़ 8, 1894
No. 314] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 29, 1972/ASADHA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th June 1972

S.O. 448(E).—In pursuance of the provisions contained in Section 7.01 of Article VII of the Loan Contract dated 17th March, 1972, between the Republic of India and the Diversification Fund of the International Coffee Organisation in respect of Small Coffee Farm Diversification Project and of Coffee Census Project respectively, the Government of India hereby designate the Coffee Board of India as the Development Institution and authorise to receive payments of principal amounts of the Loan Contracts in accordance with the provisions contained in Section 7.02 and Section 7.03 of the two Contracts mentioned above.

[No. F. 30(3)-Plant(B)/72-I.]

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 जून, 1972

सां०आ० 448 (अ).—भारत गणराज्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन की परिवर्तन निधि के बीच, तारीख 17-3-1972 की उधार संविदाओं के अनुच्छेद VII की धारा 7.01 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, क्रमश: लघु काफी फार्म परिवर्तन परियोजना तथा काफी गणना परियोजना के बारे में, भारत सरकार, भारतीय काफी बोर्ड को विकास संस्था के रूप में एतद्द्वारा

अभिहित करती है और उपरोक्त दोनों संविदाओं की धारा 7.02 तथा धारा 7.03 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार उधार संविदाओं की मूल राशियों के भुगतान प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

[सं० फा० 30(3) प्लांट (बी)-1/72]

S.O. 449(E).—In pursuance of the provisions contained in Section 1.03 of Article I of the Loan Contracts dated 17th March, 1972, between the Republic of India and the Diversification Fund of the International Coffee Organisation in respect of Small Coffee Farm Diversification Project and of Coffee Census Project respectively, Government of India hereby authorise the Coffee Board of India to carry out the Projects and to utilise the resources of the Loans in the manner set out in the aforesaid two Contracts.

2. It is hereby certified that the Coffee Board as the Executing Agency of these two Contracts is fully empowered and capable of undertaking their task under these two Contracts.

[No. F. 30(3)-Plant(B)/72-II.]

N. N. MALHAN,
Deputy Director.

सां०आ० 449(अ).—भारत गणराज्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन की परिवर्तन निधि बीच तारीख 17-3-1972 की उधार संविदाओं के अनुच्छेद 1 की धारा 1.03 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, क्रमशः लघु काफी फार्म परिवर्तन परियोजना तथा काफी गणना परियोजना के बारे में, भारत सरकार, पूर्वोक्त दोनों संविदाओं में दी गई रीति से परियोजना को कार्यान्वित करने तथा उधारों की संपत्ति का उपयोग करने के लिए भारतीय काफी बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उन दोनों संविदाओं के निष्पादनकारी अभिकरण के रूप में, काफी बोर्ड, इन दोनों संविदाओं के अधीन अपने कार्य को करने के लिए पूरी तरह सशक्त तथा समर्थ है ।

[सं० फा० 30(3)प्लाट (बी)-II/72]

एन० एन० मलहन,
उप निदेशक, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972